टैलीफैक्स–0135–2522941

इ–मेल –bridcul.@gmail.com
CIN No -U45203UR2008SGC032591

BRIDCUL (ब्रिडकुल)

ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड

प्रधान कार्यालयः अवस्थापना भवन, 583–ढ, राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून– 248001

पत्रांकः 1082/ब्रिडकुल/290(XI)/2019 दिनाँकः 02/07/2019

नोटिस

इस निगम, (ब्रिडकुल) में पूर्व पद्धति के अनुरूप (अर्थात् माह नवम्बर 2018 से पूर्व) पंजीकृत समस्त ठेकेदारों को निगम मुख्यालय के कार्यालय पत्रांक 1978/ब्रिडकुल/290(XI)/2018 दिनांक 27.11.2018 के माध्यम से संयुक्त रूप से जारी पत्र जोकि निगम की वेबसाईट पर अपलोड़ किया गया था व 10 करोड़ तक हेतु पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो को पृथक–पृथक विभिन्न पत्रों के माध्यम से पत्र भी प्रेषित किये गये थे, जिसमे निगम मे पंजीकरण बनाये रखने हेतु नवीन पद्धति के अनुरूप पंजीकरण को परिवर्तित किये जाने अन्यथा पंजीकरण निरस्त हो जाने का उल्लेख किया गया था।

उक्त के क्रम मे विभिन्न फर्मो/ठेकेदारों द्वारा अपना पंजीकरण नवीन पद्धति के अनुरूप विधिवत् परिवर्तित करा लिया गया है व जिन फर्मो/ठेकेदारों के पंजीकरण पूर्व मे **निम्नलिखित श्रेणी व कैटेगरी** हेतु थे व उनके द्वारा आतिथि तक अपने पंजीकरण को उपरोक्तानुसार परिवर्तित किये जाने हेतु अनुरोध पत्र/प्रस्ताव निगम को प्राप्त नही है के पंजीकरण को निरस्त किया जाता है।

क्रम सं0	पूर्ववत कैटेगिरी	पूर्ववत श्रेणी
1	A (भवन कार्यो हेतु) B (सेतु कार्यो हेतु) C (मार्ग कार्यो हेतु)	VII (up to 50 lac) VI (up to 1.5 cr.) V (up to 5 cr.)
2	E (विद्युतीकरण कार्यो हेतु)	III (up to 40 lacs.) II (up to 01 cr.)

उक्त सभी फर्मो/ठेकेदारों द्वारा उक्त पंजीकरण के सापेक्ष भविष्य मे किसी भी निविदा मे प्रतिभागिता हेतु योग्य नही होंगे। उक्त के अन्तर्गत आ रहे सम्बन्धित फर्मो द्वारा पूर्व मे पंजीकरण के समय जमा सुरक्षा धनराशि शीघ्र ही उन्हे लौटा दी जायेगी व सभी सम्बन्धित ठेकेदार निगम मे नवीन पद्वति के अनुरूप पंजीकरण हेतु विधिवत् नवीन रूप से आवेदन कर सकते है।

नोट– उपरोक्त कैटेगिरी व श्रेणी के वे समस्त ठेकेदार/फर्म जिनके द्वारा उक्त पंजीकरण के सापेक्ष उनके द्वारा इस निगम में कोई भी निर्माण कार्य वर्तमान में गतिमान है अथवा DLP के अन्तर्गत है, का पंजीकरण सम्बन्धित परियोजना के DLP की समय सीमा पूर्ण होने के उपरान्त निरस्त माना जायेगा परन्तु सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त पंजीकरण के सापेक्ष किसी भी निविदा में प्रतिभाग करने हेतु उनका पंजीकरण वैद्य नही माना जायेगा व गतिमान परियोजना के सापेक्ष DLP की समय सीमा पूर्ण होने के उपरान्त ही सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म द्वारा सम्बन्धित इकाई कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पंजीकरण के सापेक्ष जमा सुरक्षा धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु पृथक से अनुरोध किया जायेगा।

(राजेन्द्र प्रसाद उनियाल)
महाप्रबन्धक (सिविल)

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, ब्रिडकुल, देहरादून।
2. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), ब्रिडकुल, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक (मानव संसाधन), ब्रिडकुल, देहरादून।
4. महाप्रबन्धक (परियोजना), ब्रिडकुल, देहरादून।
5. परियोजना प्रबन्धक, ब्रिडकुल, इकाई कार्यालय हल्द्वानी /पिथौरागढ़/देहरादून/मुख्यालय।
6. प्रबन्धक (सू0प्रौ0) को उक्त सूचना सम्बन्धित ठेकेदारों के सूचनार्थ संयुक्त रूप से जारी किये जाने हेतु निगम की वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु प्रेषित।
7. टेण्डर कॉडिनेटर, ब्रिडकुल देहरादून।
8. मास्टर फाईल।

महाप्रबन्धक (सिविल)